प्रेस नोट,
दिनांक 12.07.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त इसरार पुत्र स्व0 बसारथ, निवासी ग्राम भट्ठा पुरवा, मौजा लोनावा दरगाह, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा को विरमा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 12.07.2025 को समय करीब रात्रि 2:25 बजे थाना खरगूपुर के उ0नि0 सत्य नारायण यादव मय हमराह के साथ रात्रि गश्त एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु रवाना थे कि विरमा नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति संदिग्ध दिखने पर रोकटोक कर उसे चेक किया गया तो उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त इसरार के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. इसरार पुत्र स्व0 बसारथ, निवासी ग्राम भट्ठा पुरवा, मौजा लोनावा दरगाह, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–156/2025, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 सत्य नारायण यादव।
02. का0 पंकज प्रेमी।
03. का0 चेतन पाण्डेय।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 12.07.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा चोरी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–221/2024, धारा 305,331(4) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त–मयंकर उर्फ मक्कर पुत्र राम वकील नि0 ग्राम कंचनापुर फरेन्दा शुक्ल थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को परसा मोड़ नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः–

दिनांक 17.08.2024 की रात्रि वादी मुकेश कुमार सैनी पुत्र नानबाबू सैनी नि0 बराराय मल्लापुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के घर अज्ञात चोरों द्वारा उनकी मोटरसाईकिल, सोने–चांदी के जेवरात व नगदी चोरी कर फरार हो गए थे। वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 12.07.2025 को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा चोरी करने के वांछित अभियुक्त मयंकर उर्फ मक्कर पुत्र राम वकील नि0 ग्राम कंचनापुर फरेन्दा शुक्ल थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को परसा मोड़ नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1350 रू0 नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मयंकर उर्फ मक्कर पुत्र राम वकील नि0 ग्राम कंचनापुर फरेन्दा शुक्ल थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–221/2024, धारा 305,331(4) 317(2) बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 1350 रू0 नगद।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 मृत्युन्जय सिंह।
02. का0 विक्रान्त यादव।
03. का0 धर्मेन्द्र ठाकुर।

मीडिया सेल, गोण्डा।